न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी :– श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 06/2019 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवानः–

प्रार्थीगण :–

1. मसरा पुत्र ओखा
2. मोडा पुत्र ओखा
3. नारणा पुत्र ओखा
4. चेला पुत्र ओखा

जातियान सुथार निवासीगण मौखुपुरा तहसील सांचोर, जालोर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. वीसा पुत्र गोमा जाति सुथार निवासी मौखुपुरा तहसील सांचोर,जालोर।

उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थीगण :– श्री रघुवीर पुरोहित
अभिभाषक अप्रार्थी :– श्री सदराम विश्नोई
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

निर्णय दिनांक 21.09.2020

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचोर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी के सेढा सेढ खातेदारी का खेत आया हुआ है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1865 मे आने जाने के लिए रास्ता मौजूद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को काफी परेशानी का सामना करना पङ रहा है तथा अन्य कोई निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है तथा नियमानुसार निकट से निकटतम रास्ता खेत खसरा नम्बर 1864 मे से ही परिशिष्ठ नक्शा "अ " मे मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है। इसलिए खसरा नम्बर 1864 मे से रास्ता प्रार्थीगण के हित मे दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1864 में से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1865 मे आने जाने हेतु नये रास्ते की अति आवश्यकता है। जो प्रार्थना पत्र के राथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ " में मार्क ए से बी दर्शाया गया है तथा खेत खसरा नम्बर 1865 में अन्य कोई रास्ता मौजद नहीं है। जिसके कारण प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को भारी असुविधा का सामना करना पङ रहा है। रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का पूरा परिवार रास्ते के बिना कैद हो गया है। जिसके नया रास्ता बनाना अति आवश्यक न्यायहित में है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खातेदारी खेत मे जाने के लिए अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए कानूनन निकटतम व लघुतम नया रास्ता बनाने के प्रार्थीगण हकदार है।प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर की भूमि मे से रास्ते हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1864 मे से 188 मीटर लम्बा व 20 फिट यानी 06 मीटर चौङे रास्ते की आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते का कुल रकबा 0.1128 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.22 17:47:42 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 1864 मे से अवाप्त कर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1865 मे आवागमन करने हेतु रास्ता दिलाया जावे तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ते के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रतिफल की राशि अदा करने के लिए तैयार है। इसलिए उक्त प्रार्थीगण को सुखाधिकार अधिनियम के तहत रास्ते के अवरोध से आजाद करने के लिए खेत खसरा नम्बर 1864 मे से 188 मीटर लम्बा व 20 फिट चौडा रास्ता जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में मार्क ए से बी के अनुसार दिया जाना न्यायहित में है।अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –251 ए , राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1865 वांके मौजा माखुपुरा पटवार हल्का सांचौर , भू अभिलेख निरीक्षक सांचोर मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1864 में से परिशिष्ठ नक्शा " अ " मे मार्क ए से बी उल्लेखित भूमि को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 ग्राम मौखुपुरा खाता नम्बर 224 , नक्शा किश्तवार , नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 291 ग्राम मौखुपुरा तथा नक्शा परिशिष्ठ "अ " पेश किया।

तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की गई।अप्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1865 रकबा 0.74 हैक्टर के लिए रास्ते की मांग की है , धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधि. में रास्ते के लिए निकटतम राजकीय मार्ग से लगता मार्ग व सुलभ मार्ग जहां से है वहां से दिये जाने का प्रावधान किया है। प्रार्थीगण द्वारा मेरे खेत खसरा संख्या 1864 से गलत रास्ते की मांग की हें यदि मेरे खेत से होकर रास्ता दिया जाता है तो खेत के दो टुकड़े हो जाएंगे तथा खेत का भू उपयोग खत्म हो जायेगा। खेत कास्त उपयोगी नहीं रहेगा जिससे खेड़ निकालने, फव्वारे लगाने व अन्य काश्त उपयोग में भारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मेरे खातेदारी में से होकर निकटतम रास्ता न होकर खसरा नंबर 1870 जो राजकीय मार्ग से लगता है से होकर निकटतम रास्ता है। जो माफिक नजरी नक्शा जो मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रदर्श 'ब' पेश किया हे। उसमें ए से बी निकटतम रास्ता है। यदि खसरा नम्बर 1870 के दक्षिणी सेठे से लगता हुआ रास्ता दिया जाता है। तो उसके खातेदारी के दो टुकड़े भी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त 1863 से भी सीधा रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु 1863 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यदि मेरे खेत खसरा 1864 के सेठे के पेरलल रास्ता दिया जाता है तो वह प्रार्थीगण की खोतदारी की भूमि के बराबर हो जायेगी जो न्यायसंगत नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को रास्ता 1870 में से होकर दिया जाना उचित है अतः प्रार्थना पत्र गलत खसरे में रास्ता मांगने के कारण खारिज किया जावें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ जमाबंदी की नकलें एवं नजरी नक्शा प्रदर्श 'ब' पेश किया।

तहसीलदार सांचौर से प्रथम मौका रिपोर्ट 20.02.2020 को प्राप्त हुई। प्रथम मौका रिपोर्ट में खसरा नं 1864 से होकर चाहा गया रास्ता व प्रस्तावित रास्ता मौका स्थिति अनुसार विवरण दिया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पुनः मौका जांच रिपोर्ट खसरा नं. 1870 से होकर भी देखे जने हेतु आवेदन करने पर पुनः मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सांचौर से तलब की गई जो दिनांक 26.08.2020 को प्राप्त हुई। मौका जांच रिपोर्ट में खसरा नं. 1864 तथा खसरा नं. 1870 से होकर रास्ते के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.22 17:47:42 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

तुलनात्मक विवरण दिया गया। खसरा नं. 1864 से होकर खेत के दो टुकड़े करने की स्थिति में कुल रास्ते की लंबाई 196 मीटर होती है। वहीं यदि खसरा नं. 1864 के सेठे से लगते हुये यदि रास्ता दिया जाता है तो उसकी कुल लंबाई 300 मीटर होती है वहीं खसरा नं. 1870 में बिना खेत के दो टुकड़े दिये रास्ते की लंबाई 200 मीटर होती है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 1864 से होकर रास्ता चाहा गया है। परन्तु यदि प्रार्थी को खसरा न. 1864 से होकर सबसे नजदीक से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी के खेत के दो टुकड़े हो जाते हैं। खेत के दो टुकड़े होने की अवस्था में अप्रार्थी को अपने खेत को जोतने, बुवाई करने, फसल को फव्वारे आदि से सिंचित करने व कटाई में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और यह समस्या उसे आजीवन उठानी पड़ेगी। खसरा नं. 1870 से होकर रास्ता देने की स्थिति में रास्ते के दो टुकड़े भी नहीं होंगे तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते खसरा नं. 1864 जिसमें खेत के दो टुकड़े होते है से दोनों की तुलनात्मक लंबाई में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। खसरा नं. 1870 से होकर 200 मीटर लंबाई जबकि खसरा नं. 1864 से होकर 196 मीटर लंबाई होती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए सुविधाजनक एवं आत्यांतिक आवश्यकता पर ही रास्ते का प्रावधान करती है। जबकि प्रकरण में चाहे गये रास्ते खसरा नं. 1864 से होकर दिये जाने पर खेत के दो टुकड़े हो जाते है। जिस कारण खेत की भू उपयोगिता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। केवल प्रार्थीगण की सुविधा के लिए रास्ते का प्रावधान कर अप्रार्थी के खेत को इस प्रकार दो टुकड़ों में बांटकर भू उपयोगिता को गंभीर क्षति पहुँचाया जाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि वैकल्पिक अन्य खेत खसरे से होकर रास्ता दिया जा सकता है। जहाँ से रास्ता देने की स्थिति में खेत के दो टुकड़े भी नहीं होंगे।

अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खेत खसरा संख्या 1864 से होकर देने की स्थिति में खेत के दो टुकडे होने तथा उक्त खसरे की भू–उपयोगिता पर गंभीर विपरित प्रभाव पड़ने के कारण तथा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1865 से लगते हुये अन्य खसरा नम्बरों से रास्ता दिये जाने के विकल्प उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

21.9.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

पत्रावली फैसल शुमार होकर तथा नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.22 17:47:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner